उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 5/97/एक-1-2019-5(12)/2016
लखनऊ: दिनॉक: 08 मार्च 2018

अधिसूचना

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-1180/डी0एल0आर0सी0/2017-18 दिनांक-07/01/2019 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम दलेलपुर तहसील सदर जनपद-गौतमबुद्धनगर की ग्राम सभा की गाटा संख्या-25 रकबा-0.0978हे0, गाटा संख्या-34 रकबा-0.0905हे0, गाटा संख्या-29 रकबा-0.0414हे0 व गाटा संख्या-37 रकबा 0.0084हे0 अर्थात् कुल 04 गाटा कुल रकबा-0.2381हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में क्रमशः सड़क, चकरोड, आबादी बंध व चकरोड के रूप में दर्ज है, के बदले उसी प्रयोजन हेतु मुस्तकिल नं0-12 गाटा संख्या-13/2 रकबा 0.1999हे0 व गाटा संख्या-18/1 रकबा 0.2075हे0 में से 0.0382हे0 अर्थात् कुल 02 किता कुल रकबा 0.2381हे0 जो श्रेणी-5(3) में दर्ज है, को आरक्षित करते हुए प्रस्तावित भूमि के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उक्त संहिता की धारा-59 की उपधारा-4(ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरीडोर रेलवे परियोजना, भारत सरकार हेतु पुनर्ग्रहीत करते हुए लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- ग्राम दलेलपुर तहसील सदर जनपद-गौतमबुद्धनगर की ग्राम सभा की गाटा संख्या-25 रकबा-0.0978हे0, गाटा संख्या-34 रकबा-0.0905हे0, गाटा संख्या-29 रकबा-0.0414हे0 व गाटा संख्या-37 रकबा 0.0084हे0 अर्थात् कुल 04 गाटा कुल रकबा-0.2381हे0 भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है। डी0एफ0सी0सी0एल0 से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3)- ग्राम दलेलपुर तहसील सदर जनपद-गौतमबुद्धनगर की ग्राम सभा की गाटा संख्या-25 रकबा-0.0978हे0, गाटा संख्या-34 रकबा-0.0905हे0, गाटा संख्या-29 रकबा-0.0414हे0 व गाटा संख्या-37 रकबा 0.0084हे0 अर्थात् कुल 04 गाटा कुल रकबा-0.2381हे0 भूमि के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन के पश्चात उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण कर लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखा जायेगा। डी0एफ0सी0सी0एल0 द्वारा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भूमि का मूल्य व वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

-2-

shasanadesh.up.nic.in

(4)- कलेक्टर द्वारा ग्राम दलेलपुर तहसील सदर जनपद-गौतमबुद्धनगर स्थित भूमि मुस्तकिल नं0-12 गाटा संख्या-13/2 रकबा 0.1999हे0 व गाटा संख्या-18/1 रकबा 0.2075हे0 में से 0.0382हे0 अर्थात् कुल 02 किता कुल रकबा 0.2381हे0 श्रेणी-6(2) के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(5)- रेलवे विभाग, भारत सरकार के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-सड़क, चकरोड़ व आबादी बंध की भूमि का श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा सड़क, चकरोड व आबादी बंध की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे।

(6)- लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(7)- कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8)- उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 5/97(1)/ एक-1-2019-5(12)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
4- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-1180/डी0एल0आर0सी0/2017-18 दिनांक-07/01/2019 के आलोक में।
5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 10 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएं।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर0वी0 सिंह
संयुक्त सचिव

shasanadesh.up.nic.in